विचार बिन्दु

अधिकार जताने से अधिकार सिद्ध नहीं होता। –टैगोर

क्यों न दोषी सांसदों और विधायकों पर, चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध हो?

धर्म की परिभाषा और व्याख्या करना सरल नहीं है, किन्तु असंभव नहीं है, हाँ हम कह सकते हैं जटिल अवश्य है। 'ए साइकोलोजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन' नामक पुस्तक में धर्म की 48 परिभाषायें दी हैं। जैनों ने वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है। हिन्दू धर्म में धर्म को आचरण के साथ जोड़ा है। सभी धर्म मानते हैं, धर्म का आधार नीति (मोरेलिटी) है। ईसाई धर्म में आस्था व विश्वास को धर्म का आधार माना है। प्राय: धर्मों में शुद्धता व सत्यनिष्ठा पर बल दिया। यहूदी धर्म मानवता वादी है। सभी धर्मों ने सदाचार के बिना धर्म को प्राण रहित कहा है। आचार व धर्म एक वस्तु है, किन्तु सम्प्रदाय भिन्न। भारत धर्म निरपेक्ष देश है। अयोध्या मे जन्में राम भगवान के रूप में पूज्यनीय हैं, क्योंकि वे सदाचारी थे आचरण की शुद्धता के प्रतीक थे। आचरण की शुद्धता व पवित्रता हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है। भारत ने कभी भी आचरणहीन शासक को स्वीकार नहीं किया है। भारत की यह संस्कृति आज कहीं खो गई है। देश में प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। अत: प्रश्न है क्यों न दोषी सांसदों और विधायकों पर चुनाव लडने पर प्रतिबंध हो?

भ्रष्टाचार का जहर एक नासूर के रूप में समाज को खोखला करता जा रहा है। संसार के भ्रष्टाचारी देशों में भारत का स्थान 94वां है। लोक सेवकों के भ्रष्टाचार पूर्ण कृत्यों के कारण देश की संसद को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लाना पडा। विश्व परेशान है 9 दिसम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण दिवस मानाया जाता है। भ्रष्टाचारियों ने हमारे भोजन को ही अखाद्य बना दिया है। कहते हैं देश में जहर भी शुद्ध नहीं मिलता। भ्रष्ट आचरण को रोकने के विचार से देश में भ्रष्टाचार निवारण कानून है। फूड अडल्ट्रेशन कानून है। केन्द्र सरकार द्वारा देश में भ्रष्टाचार की गतिविधियों को रोकने के लिये 1988 में कानून बनाया और 2018 में उसमें संशोधन किया। इसके तहत रिश्वत देने व लेने के वाले को दण्डित करने का प्रावधान है। इसमें 7 वर्ष की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। सभी गतिविधियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। चुनावों में धांधली में वर्षों से देखते आ रहे हैं। गुण्डे सजा काटने वाले चुनाव में खड़े होते हैं और जीत कर हमारे लिये कानून बनाते हैं। धर्म के नाम पर अधर्म को बढ़ावा मिल रहा है। भ्रष्टाचार, रिश्वत, चुनावों में धांधली, ब्लेकमेल करना, साईबर क्राईम, टेक्स चोरी, झूठी गवाही, झूठा मुकदमा, परीक्षाओं में नकल, पर्चा आउट होना, मौत की सजा के बाद भी बलात्कार के केस बढ़ते जा रहे हैं, कानूनी अधिकार को प्राप्त करने के लिये भी भ्रष्टाचारियों की शरण में जाना होता है। कार्यपालिका में जो भ्रष्टाचार है ही किन्तु संसद व न्यायपालिका भी अछूती नहीं हैं इसके प्रमाण मिलते हैं। प्रतिष्ठा और सम्मान के पद भी बिकाऊ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ दिन पूर्व ही कहा था कि विदेशों में कान्ट्रेक्ट प्राप्त करने के हेतु रिश्वत देनी पड़े तो भी देकर संविदा प्राप्त करो। हद तो यह हो गई है कि आरोग्य रहने के लिये ली जाने वाली दवायें भी नकली मिल रही हैं। जहर खा रहे हैं, विष पी रहे हैं। राज्य जो वेलफेयर (कल्याणकारी) स्टेट हैं वे संविधान के विरूद्ध शराब की आय से शासन चला रहे हैं जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसका निषेध किया है।

सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के न्यायाधीश परेशान हैं कि भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त किया जावे। संसद भी अपनी विवशतों के मध्य परेशान है कि भ्रष्टाचार से कैसे जनता को मुक्ति दिलाई जावे। देश का दुर्भाग्य है कि देश की संसद व राज्य की विधान सभायें, आजादी के 75 वर्ष होने पर भी ऐसे सदस्यों से बनी हुई हैं, जहां ऐसे व्यक्ति चुनकर आ सकते हैं जो क्रिमिनल आचरण के हैं और जिनमें कानून बनाने की योग्यता की शिक्षा का अभाव है। देश की पंचायतों के लिये चुनाव लडने की योग्यता तो निर्धारित है, किन्तु संसद व विधानसभा में कोई भी व्यक्ति धनबल से चुनकर आ सकता है।

यहाँ यह लिखना उचित होगा कि वर्ष 2024 में निर्वाचित 543 सांसदों में से 251 अर्थात् 46 प्रतिशत के खिलाफ आपराधिक मामले थे और 171 के ऊपर यानी 31 प्रतिशत पर बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास और अपहरण के आरोप थे।

दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने का विषय गम्भीर है और इस संबंध में शीघ्र ही कोई सख्त कदम उठाने का यही सही समय भी है।

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर राजनीति में भाग लेने पर रोक यानी प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुये याचिकायें प्रस्तुत हुई हैं। एक याचिका अश्विनी उपाध्याय सीनियर एडवोकेट ने प्रस्तुत की है। याचिकाकर्त्ता की ओर से याचिका में यह स्पष्ट रूप से उठाया गया है कि चुनाव में खडे होने वाले राजनीतिक दलों को यह बताना होगा कि वे स्वच्छ छवि वाले लोगों को क्यों नहीं खड़ा कर सकते। खडे होने वाले व्यक्ति के बाबत केवल यह कहा जाता है कि आरोपी एक सामाजिक कार्य कर्त्ता है, उसके विरूद्ध झूठे केस दर्ज कराये गये हैं। याचिका में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 का उल्लेख किया गया है, जिसमें सजा की मियाद के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण है। उक्त अधिनियम की धारा 8(3) में बतलाया है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी पाया जाता है और दो वर्ष या इससे अधिक के कारावास की सजा की सजा न्यायालय ने दी है तो उस व्यक्ति की कारावास की अवधि के दौरान और रिहाई के बाद छ: साल तक चुनाव लडने के लिये अयोग्य होगा। उक्त अधिनियम की धारा 3(1) में विशिष्ट अपराधों के हेतु अयोग्यता का निर्धारण किया गया है, जिनकी वजह से सजा की अवधि व रिहाई के छ: वर्ष बाद तत्काल अयोग्यता होती है। इन अपराधों में बलात्कार, अन्य जघन्य अपराध, अस्पृश्यता, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध हैं। धारा 11 में निर्वाचन आयोग को दोषी व्यक्ति की अयोग्यता अवधि को समाप्त करने या कम करने का अधिकार है। कानून में अस्पष्टता है दोषी व्यक्ति अपरिभाषित है। छ: वर्ष की अवधि के बाद दोषी व्यक्ति पाक कैसे हो जाता है समझना कठिन है। कानून अनुच्छेद 14, 19, 21 का उल्लंघन करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 में निम्नलिखित कानून आते हैं:-

1) धारा 153A, धारा 171E, धारा 171Z, धारा 376A (पूर्व आईपीसी)

2) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1959

कोर्ट ने कहा कि ''एक सरकारी कर्मचारी जैसा कि क्लास 4 कर्मचारी एक बार हत्या या बलात्कार जैसे गम्भीर अपराधों में दोषी साबित हो जाये तो वह अपनी नौकरी वापिस नहीं पा सकता, किन्तु एक सांसद/विधायक एक बार फिर सांसद या विधायक बन सकता है और मंत्री भी बन जाता है।''

3) सीमा शुल्क अधिनियम

4) गैर कानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967

5) विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम, 1973

6) आतंकवादी और विघटनकारी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987

7) पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991

8) राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971

9) सती आयोग निवाण अधिनियम, 1987

10) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 आदि

उपरोक्त पिटीशन पर 4 मार्च 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के हेतु केन्द्र सरकार व चुनाव आयोग को नोटिस जारी किये हैं और जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की खण्डपीठ करेगी। नोटिस देने से पूर्व सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने जो टिप्पणी की वह गम्भीर भी है और यर्थाथवादी भी। कोर्ट ने कहा कि ''एक सरकारी कर्मचारी जैसा कि क्लास 4 कर्मचारी एक बार हत्या या बलात्कार जैसे गम्भीर अपराधों में दोषी साबित हो जाये तो वह अपनी नौकरी वापिस नहीं पा सकता, किन्तु एक सांसद/विधायक एक बार फिर सांसद या विधायक बन सकता है और मंत्री भी बन जाता है।''

पिटीशन में जो रिलीफ मांगी है, उसे देखते हुये धारा 8 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की विवेचना होना आवश्यक है। ऐसे लोगों पर आजीवन प्रतिबंध लगना ही चाहिये। प्रश्न है आचरणहीन व्यक्ति कैसे शासक हो सकता है। जनता की यह मांग है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 बहुत पुराना हो चुका है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है।

संविधान के अनुच्छेद 45 में जो संविधान लागू होने के समय था, राज्य से यह अपेक्षा की थी कि संविधान लागू होने से 10 वर्ष की अवधि में 14 वर्ष के बालकों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जावेगी अर्थात् 10 वर्ष के अन्दर देश के सभी बच्चे 8वीं क्लास पास कर लेंगे, किन्तु ऐसा नहीं हुआ जबकि यह प्रावधान सनसेट लॉज के अनुसार था। आज भी हमारे देश के कई सांसद व विधायक 8वीं तक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुकी है कि संसद में जो कानून बनते हैं वे दोषपूर्ण रहते हैं। अत: कानून में संशोधन की आवश्यकता है कि बीए तक की शिक्षा की अनिवार्यता की जावे। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 51क में नागरिकों के मूल कर्त्तव्य दिये हैं, उनकी पालना यदि कोई नागरिक नहीं कर रहा है तो उसे चुनाव लडने से Disqualify किया जावे। देश में प्रतिदिन किसी न किसी रूप में चुनाव हो रहे हैं, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडी/जलाई जाती है रेल लाईनें उखाडी जाती है। यात्रा में अवरोध पैदा किया जाता है। हाँ, यदि मूल कर्त्तव्य की पालना को क्वालिफिकेशन में जोड दिया जावे तो देश में शान्ति व अहिंसक आन्दोलन तो होते रहेंगे किन्तु हिंसक नहीं। मूल कर्त्तव्य में यह कहा गया है कि देश के नागरिक का कर्त्तव्य होगा कि वे हिंसा से दूर रहे, सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करे और प्राणी मात्र के प्रति करूणा का भाव रखे।

समय-समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छे निदेर्श दिये हैं। कोर्ट ने दिनांक 25.09.2018 को निर्देश देते हुये यह माना था कि मतदाता को उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि जानना मतदाता का अधिकार है। किन्तु यह निर्देश नहीं दिया कि दोषी व्यक्ति को चुनाव लडने का अधिकार नहीं है। सम्भवत: इसीलिये कि संसद कानून बना देगी किन्तु ऐसा नहीं हुआ।

जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में तथा दिनांक 29.09.2018 के निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया कि चुनाव की पारदर्शिता के हेतु चरित्रवान व शिक्षित सांसद होने चाहिये। संसद को कानून बनाना चाहिये तो क्यों नहीं उपरोक्त विषय के संबंध में विस्तृत तथा सार्थक कानून बनाकर सख्ती से लागू किया जावे।

संविधान का अनुच्छेद 324 के द्वारा चुनाव आयोग को बहुत व्यापक अधिकार दिये हैं। उसे प्रशासनिक अधिकार तो हैं ही साथ ही उसे विधायिका व न्यायपालिका के भी अधिकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को केवल चुनाव आयोग को उसकी अपार व व्यापक शक्तियों की पहिचान करानी है। हनुमान में कितनी शक्ति थी, इसका ज्ञान जामवन्त ने हनुमान को कराया था और राम ने लंका को जीता था।

कुछ दिन पूर्व (14.02.2025 को) पूर्व न्यायाधीश प्रवीर भटनागर ने समरावता हिंसा मामले में देवली उनियारा विधानसभा उप चुनाव में निर्दलीय प्रतयाशी रहे नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज करते हुये नरेश मीणा के मामले में यह आदेश दिया था कि 'अपराध में शामिल उस जैसे राजनीतिक व्यक्ति को जमानत के लाभ से वंचित करना ही न्याय होगा।' माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अपराधी नेताओं का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है और नरेश मीणा को राहत नहीं दी, क्योंकि आरोप था कि उसने लोगों को हिंसा के लिये उकसाया था।

समय आ चुका है दोषी नेताओं को चुनाव में लड़ने से आजीवन प्रतिबंधित किया जावे तथा एक नया व्यवहारिक, सार्थक तथा जनता को द्रुतगति से न्याय देने वाला कानून बनाया जावे।

सत्यमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

संघर्ष समिति की बैठक में 28 फरवरी को शाहपुरा बंद रखने का निर्णय लिया

शाहपुरा । धरना स्थल पर दोपहर जिला बचाओ संघर्ष समिति शाहपुरा के सदस्यों की समीक्षा बैठक के संयोजक राम प्रसाद जाट की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक का संचालन महासचिव कमलेश मुंडेतिया ने किया और बताया कि 28 फरवरी को शाहपुरा जिला निरस्त करने पर संपूर्ण शाहपुरा बंद रख विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शाहपुर जिले की बहाली तक आंदोलन जारी रहेगा। संयोजक रामप्रसाद जाट ने बताया कि संघर्ष समिति का विस्तार कर शहर एवं ठाामीण क्षेत्र के लोगों को सदस्य बनाया गया। 28 फरवरी ब्लैक डे पर संपूर्ण शाहपुरा बांद्रा के आम सभा की जाएगी जिसकी जिम्मेदारी सदस्यों को दी गई और आंदोलन को तेज करने की रूपरेखा तय कर रणनीति बनाई गई इस अवसर पर संघर्ष समिति के सदस्य नरेश बूलिया रामेश्वर सोलंकी रामेश्वर लाल धाकड़ सूर्य प्रकाश ओझा संजय गॉड डॉ इसाक मोहम्मद अविनाश शर्मा हाजी उस्मान मोहम्मद छिपा अभिषेक सोनी धनराज जीनगर सत्यनारायण पाठक ताजुद्दीन उस्ता प्रवीण पारीक रामस्वरूप टेपन उदय लाल बेरवा विजय ट्रेलर रवि शंकर उपाध्याय ओम प्रकाश सिंधी महावीर प्रसाद मीणा मदन सर्वा महावीर बैरवा सुगन बोहरा शंकर लाल खटीक प्रभु लाल धोबी परमेश्वर धोबी किशन लाल खारोल वेद प्रकाश धाकड़ सहित कई लोगों ने अपने विचार रखें ।

शाहपुरा जिला निरस्त करने के विरोध में चल रहा धरना पचासवें दिन भी जारी रहा।

आंदोलन 50 वें दिन भी अनवरत जारी : जिला बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा उपखंड कार्यालय शाहपुरा के बाहर क्रमिक अनशन धरने पर नवयुवक मंडल शाहपुरा के सदस्य नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पर पहुंचकर शाहपुरा जिले को समाप्त करने के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार से शाहपुरा को वापस जिले का दर्जा देने की मांग की । नवयुवक मंडल शाहपुरा के सदस्य पवन कुमार कुलदीप विनोद गर्ग कमल सिंह सोलंकी महेंद्र आरटिया साहिल शेख पंकज प्रजापत महावीर नाथ बंशीलाल कहार दीपक कुमार कोली सहित कई सदस्य कर्मिक अनशन धरने पर बैठे और उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम शाहपुरा जिला बहाल करने का ज्ञापन दिया। नवयुवक मंडल शाहपुरा के सदस्यो का जिला बचाओ संघर्ष समिति संयोजक रामप्रसाद जाट राजोरा महासचिव कमलेश मुंडेतिया रामेश्वर सोलंकी उदय लाल बेरवा नरेश बूलिया सूर्य प्रकाश ओझा रामस्वरूप टेपन शंकर लाल खटीक संदीप जीनगर प्रवीण कुमार पारीक अजय मेहता हाजी उस्मान मोहम्मद छिपा सत्यनारायण पाठक डॉ इसाक मोहम्मद एवं अधिवक्ता गोविंद सिंह हाडा कल्याण मल धाकड़ नमन ओझा आशीष भारद्वाज ने माला पहना कर स्वागत किया और अपने विचार रखें । शाहपुरा जिला बचाओ संघर्ष समिति महासचिव कमलेश मुंडेतिया ने बताया कि कल 21 फरवरी को श्री वर्धमान जैन स्थानकवासी जैन श्रावक संघ शाहपुरा के समाजजन हेमंत कोठारी के नेतृत्व में रैली निकालकर क्रमिक अनशन धरने पर बैठेंगे।

हस्त शिल्प मेले में कवि सम्मेलन ने मन मोहा

भरतपुर (निस)। जिला प्रशासन, उद्योग व वाणिज्य विभाग, लघु उद्योग भारती महिला ईकाई के द्वारा हाट कम्पनी बाग में चल रहे ब्रज उद्योग-हस्तशिल्प एवं स्वयं सिद्धा मेला में भरतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ।

जिसमें कवि-कवित्रियों ने ओजस्वी, हास्य, करूणा, वीर रस में काव्य पाठ किया किया और हास्य चुटकुले, देशभक्ति, सामाजिक व होली के गीत सुना का श्रोताओं को भावविभोर कर उनका मन मोहा लिया तथा फाल्गुन के रसीया व गीत पर श्रोताओं को लोटपोट कर वाही-वाही हासिल की। कवि सम्मेलन की शुरूआत गणेश पूजन एवं मां सरस्वती वंदना से हुई। जिसकें मुख्य अतिथि भरतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी अठावाल एवं विशिष्ठ अतिथि जिला अठावाल महासभा के जिलाध्यक्ष व चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल मित्तल सीए, सचिव राहुल बंसल, उपाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, लघु उद्योग भारती के चेयरमैन संजय चौधरी, महिला इकाई अध्यक्ष कविता गोयल, कोषाध्यक्ष सोनल गुप्ता, सचिव हरप्रीत कौर, उद्योगपति विष्णु गुप्ता सांतरूक वाले, महिला उद्योगपति मीरा गोयल, ओपन फिल्डस स्कूल के डायरेक्टर विभा गर्ग रहे।

भरतपुर के हाट कम्पनी बाग में चल रहे ब्रज उद्योग-हस्तशिल्प मेले में कवियों ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की।

जबकि अध्यक्षता उद्योग विभाग के महाप्रबन्धक चन्द्रमोहन गुप्ता ने की। कवि सम्मेलन में भरतपुर के सोमदत्त व्यास, धौलपुर के राजवीर सिंह क्रान्ति, हाथरस के सबरस मुरसानी, दिल्ली की कवित्री मीनाक्षी ठाकुर, आगरा की निभा चौधरी, आयुशा तिवारी, पूरन शर्मा, बाबू लाल डीगिया आदि ने काव्य पाठ, गीत, चुटकुले व फाल्गुन के गीत आदि की प्रस्तुतियां दी। भरतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सचिव राहुल बंसल ने बताया कि भरतपुर स्थित जिला प्रशासन, उद्योग व वाणिज्य विभाग, लघु उद्योग भारती महिला ईकाई के द्वारा 17 फरवरी से चल रहे ब्रज उद्योग-हस्तषिल्प एवं स्वयंसिद्वा मेला में भरतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के द्वारा कवि सम्मेलन कराया गया।

जिसमें भरतपुर शहर सहित जिले के ठाामीण अंचल से भारी सख्यां में लोग कवि सम्मेलन सुनने आए। उद्योग विभाग के महाप्रबन्धक चन्द्रमोहन गुप्ता ने बताया कि 17 से 23 फरवरी तक ठाामीण हाट कम्पनी बाग पर ब्रज उद्योग-हस्तषिल्प एवं स्वयंसिद्वा मेला लग रहा है। जिसमें देश के कई राज्यों सहित भरतपुर, डीग, धौलपुर, अलवर आदि जिले के लघु उद्योग ईकाई, खादी, महिला स्वयं सहायता समूह आदि द्वारा स्वदेषी सामान निर्माण की दुकाने लगी हुई।

रूपनगढ़ को बजट में कुछ नहीं मिला

रूपनगढ । आम बजट 2025 को को लेकर रूपनगढ के ऐतिहासिक कस्बे में कई कयास लगाए जा रहे थे कई मांगे कस्बे की थी लेकिन एक भी मांग कस्बे की पूरी नही हुई जिससे जनता काफि नाराज सी नजर आ रही है गौरतलब है कि आम बजट आने से पहले स्थानीय नेता कह रहे थे कि रूपनगढ़ को पंचायत समिति ,नगर पालिका का दर्जा मिलेगा व अग्निशमन केंद्र भी बनेगा कस्बे के अस्पताल को जिला लेबल का अस्पताल घोषित किया जाएगा लेकिन कुछ भी नही हुआ, विडंबना है कि स्थानीय विधायक सुरेश सिंह रावत जो कि अभी जल संसाधन मंत्री भी है इनके होते हुए भी कस्बे को कुछ नही मिला व कस्बे का विकास नही हुआ। आज भी ऐतिहासिक कस्बा अस्पताल की गभीर समस्या से जुझ रहा है कई ऐसी मागे है जो कि कस्बे के लिए जरूरी है लेकिन इस कस्बे की कोई सुनने वाला कोई नही है । रही बात कृषि मंडी की व तो पूर्वोत्तर काठोस राज में ही हो गई थी जिसकी 40 बीघा जमीन भी अलॉट हो गई जिसका काम आज तकचालू नही हुआ किअगर इस 2025-2026,के बजट में रूपनगढ चिकित्सालय को 30 बेड या इससे ज्यादा का करके जिला लेबल का कर देते तो आज रूपनगढ कस्बे के 44 गाँव को चिकित्सा सुविधा और ज्यादा बहतर हो जाती ।

जिला कलक्टर ने केवलादेव घना पक्षी विहार में किया ई-बाइकिंग सुविधा का शुभारंभ

भरतपुर (निस)। प्रदेश में दीर्घकालीन सतत विकास सुनिश्चित करने, विकास योजनाओं में ठाीन ठाोथ के सिद्धांत का समावेश करने तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्रदेश को हरित राजस्थान बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 में पेश के लिए गए पहले ग्रीन बजट की जिले में क्रियान्विती शुरू हो गई है। प्रदेश के पहले ग्रीन बजट की क्रियान्विती की कडी में गुरूवार को जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने देशी विदेशी सैलानियों के लिए भरतपुर के केवलादेव घना पक्षी विहार में ई-बाइकिंग और ई-साइकलिंग सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला कलक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की मंशानुरूप ई-बाइकिंग और ई-साईकलिंग शुरूआत

भरतपुर में कलक्टर डॉ. अमित यादव ने ई-साइकलिंग की शुरुआत की।

■ **प्रदेश के पहले ग्रीन बजट के क्रियान्वयन की दिशा में भरतपुर जिले ने बढ़ाया कदम**

की गई है। राज्य बजट में भरतपुर को क्लीन एण्ड ठाीन इको सिटी में शामिल किया गया है। इसी कडी में यह सुविधा शुरू की गई है। इससे यहाँ आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को भ्रमण में सुविधा मिलेगी। इस दौरान आयुक्त बीडीए प्रतीक जुईकर, डीएफओ मानस सिंह, उपखण्ड अधिकारी राजीव शर्मा, प्रशिक्षु आईएएस राहुल श्रीवास्तव, अंशुमान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

राशिफल शुक्रवार 21 फरवरी, 2025

पंडित अनिल शर्मा

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, अनुराधा नक्षत्र दिन 3:54 तक, व्याघात योग दिन 11:59 तक, कौलव करण दिन 11:58 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-मिथुन, बुध-कुम्भ, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग दिन 3:54 तक है। आज जानकी जयन्ती है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:27 तक, लाभ-अमृत 8:27 से 11:16 तक, शुभ 12:40 से 2:05 तक, चर 4:54 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:02, सूर्यास्त 6:19

मेष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

वृष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मिथुन
आर्थिक मामलों से संबंधित विवादों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी।

कर्क
व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आज महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्यों से संबंधित तनाव बना रहेगा। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है।

कन्या
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

वृश्चिक
व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। घर-परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मकर
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

मीन
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।